अध्याय II: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट

2.1 केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करना और लेखापरीक्षा के कहने पर उन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ने सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के उल्लंघन में ठेकेदारों को ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया, जिससे ₹4.62 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (संस्थान) के नियंत्रण मंत्रालय ने जून 2012 और फरवरी 2014 के बीच देश भर के छः स्थानों पर फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफ़डीडीआई) परिसरों की स्थापना को मंजूरी इस शर्त के साथ दी कि सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देशों/ दिशानिर्देशों का संस्थान पालन करें। मंत्रालय ने जनवरी 2014 में, मौजूदा परिसरों में कैम्पस नेटवर्किंग सेंटर (सीएनसी) की स्थापना को मंजूरी दी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने समय-समय पर लामबंदी अग्रिम के लिए परिपत्र² जारी किए। परिपत्र निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- निविदा दस्तावेज में ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम प्रदान करने का निर्णय संगठनों में बोर्ड के स्तर (वित्त की सहमति के साथ) पर निहित होना चाहिए।
- ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और यदि प्रबंधन को लगता है कि यह विशिष्ट मामलों में आवश्यक है, तो इसे स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज में अनुबद्ध किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समय आधारित होनी चाहिए और इसे कार्य की प्रगति से समब्न्ध नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के अग्रिम के द्रुपयोग को कम किया जा सके।

[ी] हैदराबाद (तेलंगाना), पटना (बिहार), अंकलेश्वर (गुजरात), चंडीगढ, छिंडवाडा (मध्य प्रदेश) और गुना (मध्य प्रदेश)

² सीवीसी परिपत्र संख्या - 4सीसी-1-सीटीई2 दिनांक 10 अप्रैल 2007 और 5 फरवरी 2008

• लामबंदी अग्रिम के लिए ली गई बैंक गारंटी अग्रिम का कम से कम 110 प्रतिशत होनी चाहिए और लामबंदी अग्रिम का भुगतान कारण दर्ज करते हुए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दो किश्तों से कम में नहीं किया जाना चाहिए।

इसी तरह, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माणकार्य नियमपुस्तिका में भी लामबंदी अग्रिम के भुगतान के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका की धारा 32.5 के अनुसार, 10 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निविदा की 10 प्रतिशत राशि तक सीमित लामबंदी अग्रिम, संविदा की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अनुरोध पर ठेकेदारों को मंजूर की जा सकती है और ऐसे अग्रिम दो से कम किश्तों में जारी नहीं किए जाने चाहिए।

संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों और दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) की नियमपुस्तिका के आधार पर अपने निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। निविदा दस्तावेज के अनुसार, संविदा मूल्य पर 10 प्रतिशत के ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया जाना था। तदनुसार, एफडीडीआई ने अक्टूबर 2012 से जुलाई 2016 के दौरान निर्माण कार्यों, आंतरिक साज-सज्जा कार्यों का और एकल किश्त में फर्नीचर कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों (जैसा कि परिशिष्ट-XIV में विवरण दिया गया है) को ₹45.13 करोड़ के लामबंदी अग्रिम का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संस्थान ने सीवीसी के दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी निर्माणकार्य नियमपुस्तिका का अनुपालन नहीं किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान बोर्ड अर्थात् संस्थान की शासी परिषद के अनुमोदन के बिना किया गया था।
- दो किश्तों कम नहीं के निर्धारित मानक के प्रति एकल किश्त में लामबंदी अग्रिम का भ्गतान किया गया था।
- समय आधारित वस्ली के बजाय चालू बिलों के प्रति भुगतान से लामबंदी अग्रिम की वस्ली की गई।
- संस्थान ने 110 प्रतिशत के निर्धारित मानक के प्रति लामबंदी अग्रिम के 100 प्रतिशत की बैंक गारंटी स्वीकार की।

इस प्रकार, सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के गैर-अनुपालन के कारण संस्थान को ₹4.62 करोड़ के परिहार्य ब्याज की हानि हुई (चालू खाता बिलों से समायोजन के बाद बकाया शेष राशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर परिकलित)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसंबर 2019) और कहा कि संस्थान ने लामबंदी अग्रिम देना बंद कर दिया था।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करता है और भविष्य की लेखापरीक्षा के दौरान इसका सत्यापन किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि ब्याज मुक्त लामबंदी अग्रिम प्रदान करते समय सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका का अनुपालन न करने के कारण ₹4.62 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

मंत्रालय को यह मामला जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

2.2 मैंग्रीव क्रेब प्रीजेक्ट में निष्फल व्यय

मैंग्रोव क्रेब प्रोजेक्ट के अप्रभावी कार्यान्वयन और खराब निगरानी के परिणामस्वरूप ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट में उत्पादन क्षेत्रों में 'मुख्य धारा तटीय और समुद्री जैव विविधता संरक्षण' पर एक जीओआई-यूएनडीपी-जीईएफ़ पिरयोजना (यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित) को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), जो कि भारत में समुद्री खाद्य उद्योग के समग्र विकास के लिए नोडल एजेंसी है, के माध्यम से कार्यान्वित करने की योजना बनाई। ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए, एमपीईडीए के पास दो सोसायटी हैं अर्थात नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग (नेटिफश) और राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (आरजीसीए)। नेटिफश की भूमिका लाभार्थियों की पहचान, पर्यवेक्षण और निधि जारी करने की थी, जबिक आरजीसीए परियोजना के निष्पादन लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने/ प्रौद्योगिकी अंतरण करने और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी था।

परियोजना का उद्देश्य सिंधु दुर्ग के विभिन्न स्थलों से मैंग्रोव क्रेब के 18-20 मीट्रिक टन (एमटी) का उत्पादन करके, स्टॉक में वृद्धि के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों की आजीविका में सुधार करना था। परियोजना की अविध चार साल (दिसंबर 2013 से दिसंबर 2017) थी। परियोजना अविध के दौरान, एमपीईडीए को जीओएम से ₹1.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, इसमें से, ₹1.51 करोड़ की राशि चार चरणों में, विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए जारी की गई। परियोजना ने 5.76 मीट्रिक टन

12

³ भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा

क्रेब की पैदावार की और ₹0.23 करोड़ की आय अर्जित की, जिसे स्व-सहायता समूहों⁴ के बीच वितरित किया गया।

अभिलेखों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 22 स्थानों पर चयनित साइट में उच्च ज्वारीय विविधताएं थीं, जो क्रेब की उच्च मृत्यु दर/ मृत्यु का कारण बनीं। इसके अलावा, विभिन्न आकार के क्रेबलेट का स्टॉक और सामयिक छिपाने की योजना न होने के कारण नरभक्षण हुआ था। इसके अलावा, अवैज्ञानिक फीडिंग, शिकारियों के प्रवेश और बड़े जाल के उपयोग के कारण क्रेब के बचाव के परिणामस्वरूप कम फसल हुई, जो लिक्षित उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत था। यूएनडीपी के प्रतिनिधियों ने परियोजना की समीक्षा की (दिसंबर 2015) और पाया कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निगरानी अपर्याप्त थी। यद्यिप इस परियोजना को विभिन्न चरणों में लागू किया गया था, लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियां पहले के चरणों में देखी गई किमयों को दूर करने में विफल रहीं। परियोजना स्थलों में क्रेब का औसत उत्तरजीविता प्रतिशतता केवल 16.55 प्रतिशत थी जो इंगित करता है कि छोटे और बड़े क्रेब की छंटाई से संबंधित मछुआरों को क्रेब की वैज्ञानिक, समय पर और पर्याप्त फीडिंग क्लीनिंग फीड चेक ट्रे आदि का वांछित स्तर का प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, यह परियोजना पूरी तरह से अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

एमपीईडीए ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि परियोजना ने ₹1.51 करोड़ के खर्च के मुकाबले ₹0.50 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था। एमपीईडीए ने आगे कहा कि एक प्रदर्शन परियोजना होने के नाते; इसे मछुआरों को अपने आर्थिक लाभ के लिए क्रेब की कल्चर को अपनाने हेत् उनको प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया था।

एमपीईडीए का उत्तर, ₹1.51 करोड़ खर्च करने के बावजूद 18-20 मीट्रिक टन मैंग्रोव क्रेब के उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता के कारणों को दिए बिना टालने वाला था। एमपीईडीए द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, परियोजना द्वारा उत्पन्न राजस्व केवल ₹0.23 करोड़ था। इसके अलावा, यह एक प्रदर्शन परियोजना नहीं थी क्योंकि एमपीईडीए की क्रेब की फार्मिंग में विशेषज्ञता है और आरजीसीए के माध्यम से वह मैंग्रोव क्रेब की फार्मिंग कर रहा है, जिसमें क्रेब हैचरी और फार्म है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एसएचजी के सदस्यों के बीच असहयोग के कारण क्रेब की खराब उत्तरजीविता/ वृद्धि और क्रेब की कम फसल थी। फीडिंग भी उचित

⁴ स्व-सहायता समूह स्थानीय मृष्डुआरों के समूह हैं। इन समूहों को तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों/ सलाह के अनुसार परियोजना के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करना था, जिसमें ग्रो-आउट पेन में क्रेबलेटस को छोड़ना, क्रेब को खिलाना, शिकारियों/ प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को रोकना आदि शामिल हो सकता है।

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

और तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार नहीं थी और वाच एंड वार्ड के रूप में नियुक्त किए गए एसएचजी सदस्यों द्वारा क्रेब की चोरी होने के उदाहरण थे।

मंत्रालय के जवाब को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जा सकता है कि एमपीईडीए समुचित प्रशिक्षण और आवश्यक निगरानी के माध्यम से परियोजना के प्रति एसएचजी को उन्मुख करने और बढ़ावा देने में विफल रहा। एसएचजी, तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों/ सलाह के अनुसार परियोजना के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन में विफल रहे, जिन्होंने परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में परियोजना की विफलता में योगदान दिया। इसके अलावा, खराब निगरानी के कारण क्रेब की चोरी को परियोजना की विफलता के उचित कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार, परियोजना के अप्रभावी कार्यान्वयन और खराब निगरानी के परिणामस्वरूप ₹1.28 करोड़ (₹1.51 करोड़ - ₹0.23 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ।